

Speed post/ त्रिव डाक

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्युरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-
305002
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Violation letter/उल्लंघन पत्र**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/2/2022-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 01/12/2022

प्रेषित: खान एजेंट,
सीता राम जी का खेरा चुनापत्थर खान,
मेसर्स नुवओको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
गाँव: भावालिया, तहसिल: निम्बाहेड़ा,
पोस्ट: भावालिया, जिला: चित्तोडगढ़,
राजस्थान: 312620
ईमेल: (somnath.banerjee@nuvoco.com, jeetendra.jain@nuvoco.com)

विषय: राजस्थान राज्य के चित्तोडगढ़ जिले में स्थित आपकी सीता राम जी का खेरा चुनापत्थर खान, क्षेत्रफल 602.00 हेक्टेर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।
महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 01/11/2022 and 02/11/2022 by undersign in presence of Sri Somnath Banerjee, Mine Manager, Sri Rajesh Singh, Geologist and Sri Rajesh Goyal, Mining Engineer of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to the Review of Mining Plan approved on 26/03/2018 to the extent given below: (1) Top soil of 9462.6 CuM has been generated against the approved proposal of 1500 CuM for the year 2021-22. (2) Waste of 14914 metric tons has been generated against the approved proposal of 30000 metric tons, whereas achievement of ROM production was 2.56 million tones against the approved proposal of 2.60 million tons. (3) Stripping ratio of 1:006 CuM/CuM has been achieved against the approved proposal of 1:0.12 Cu/CuM.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा।
4. रक्षित पत्रवली।

वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर